संख्याः21/2019/876/87-अति0ऊ0स्रो0वि0/2019

प्रेषक,

चारूलता,

संयुक्त सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण।

विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग **लखनऊ : दिनांक : 21 जून, 2019**

विषयः- वेतन समिति, 2016 के प्रथम प्रतिवेदन भाग-6 में की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार यूपीनेडा के विभिन्न श्रेणी के कार्मिकों को अनुमन्य नगर प्रतिकर भत्ता की दरों में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण के पत्र संख्या-4014/नेडा-ईएस-6(13)/2017, दिनांक 02-11-2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश की स्वशासी संस्थाओं के सम्बन्ध में वेतन समिति (2016) के प्रथम प्रतिवेदन भाग-6 में की गयी संस्तुतियों पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के संकल्प संख्या 64/2016-वे0आ0-2-2645/दस-04(एम)/2016, दिनांक 16 दिसम्बर 2016 द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। उक्त संकल्प द्वारा लिये गये निर्णयानुसार उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा) के विभिन्न श्रेणी के कार्मिकों को वित्त विभाग के उक्त शासनादेश दिनांक 16 दिसम्बर, 2016 में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों की पूर्ति सुनिश्चित करने के उपरांत निम्नलिखित तालिका के अनुसार पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में अनुमन्य लेवल के आधार पर उनके सम्मुख उल्लिखित दरों पर नगर प्रतिकर भत्ता अनुमन्य कराये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

मैटिक्स लेवल	नगर प्रतिकर भत्ते की दरें (रूपया)			
	कानपुर, लखनऊ, नोएडा तथा ग्रेटर नोएडा क्षेत्र (नगरीय क्षेत्र)	वाराणसी, मेरठ, आगरा तथा इलाहाबाद (नगरीय क्षेत्र)	बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, मुरादाबाद तथा अलीगढ़ (नगरीय क्षेत्र)	शेष जिला मुख्यालय तथा अन्य नगर जिनकी आबादी एक लाख या उससे अधिक है (नगरीय क्षेत्र)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	340	240	160	100
2 से 5 तक	480	360	240	160
6 से 8 तक	720	540	360	240
9 एवं इससे ऊपर के लेवल	900	720	600	400

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में मैट्रिक्स लेवल का तात्पर्य पूर्व वेतन बैण्ड/वेतनमान में अनुमन्य ग्रेड वेतन/वेतनमान के सादृश्य मैट्रिक्स लेवल से है।

3- ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों, जो उत्तर प्रदेश के बाहर नियुक्त हैं, को नगर प्रतिकर भत्ता लखनऊ नगर में अनुमन्य नगर प्रतिकर भत्ते के समान होगा।

4- यूपीनेडा के ऐसे कर्मचारी, जिनके द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना चुनने का विकल्प दिया गया हो अथवा मान लिया गया हो अथवा दिनांक 01 जनवरी, 2016 के पश्चात् सेवा में नियुक्त हुये हों, के नगर प्रतिकर भत्ता के संबंध में पूर्व में निर्गत आदेश उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

5- यह आदेश तात्कालिक प्रभाव (शासनादेश निर्गत होने की तिथि) से प्रभावी होंगे।

6-यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-10-201(1)/दस-2019 दिनांक 21-06-2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीया,
चारूलता
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-महालेखाकार लेखा परीक्षा (प्रथम/द्वितीय), इलाहाबाद।
2-कोषाधिकारी, लखनऊ।
3-वित्त (व्यय नियंत्रक) अनुभाग-10
4-वित्त (वेतन-आयोग) अनुभाग-1/2 (02 प्रतियों में)
5-निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
6-गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
चारूलता
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in